अ.शा. पत्र सं. : क्यू-15011/1/2015-सांख्यिकी
दिनांक: 09 जनवरी, 2015

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको विदित है कि "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को वर्तमान में चल रही योजनाओं, नई योजनाओं और साथ ही साथ उन योजनाओं, जिन्हें उन बसावटों में बढ़ोतरी और संपर्क की अपेक्षा होगी जिनका उस वित्तीय वर्ष के दौरान उन योजनाओं के जरिए कवर किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 के लिए परियोजनाओं की वार्षिक सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, उसकी मंजूरी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एफएलएसएससी) में प्रदान की जाती है।

2. वर्ष 2015-16 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना 15-01-2015 तक भेजी जानी होगी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ सरकारी स्तर पर प्रस्तुति और विचार-विमर्श नई दिल्ली में जनवरी और फरवरी, 2015 में किए जाएंगे।

3. वार्षिक कार्य योजना 2015-16 को कृपया मंत्रालय की एएपी फार्मेट आईएमआईएस पर उपलब्ध फार्मेट तथा संलग्नक-I के अनुसार, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए।

क. योजना का आकार:

एएपी तैयार किए जाने संबंधी प्रयोजनों के लिए, 2015-16 हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन को वर्तमान वर्ष 2014-15 के लिए आबंटन से **10 प्रतिशत** अधिक के रूप में लिया जाए, जो 01/04/2015 को विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रत्याशित अथशेष सहित है। प्रारंभ की गई योजनाओं की अनुमानित लागत उपलब्ध निधियों की मात्रा से **दोगुनी** हो सकती है ताकि कार्यान्वयन में यदि कोई छोटी-मोटी गड़बड़ (ग्लिच) हो तो उससे उपलब्ध निधियों के पूरी तरह से उपयोग में कोई बाधा उपस्थित न हो। तथापि, तैयार न हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों की मात्रा को पहले ध्यान में रखा

जाए। **वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केवल उपलब्ध निधियों के आधार पर ही वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।**

ख. मामले

राज्य को चाहिए कि वह निम्नलिखित के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में उत्तर दें/कार्रवाई करें:

- 2014-15 के एएपी विचार-विमर्श कार्यवृत्त के निर्धारित कार्रवाई बिन्दु (वैबसाइट पर प्रतिलिपि उपलब्ध)।
- 2014-15 के दौरान कार्यान्वयन में मामले/समस्याएं (यदि कोई हों)।
- उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण संबंधी मामले।

ग. कवरेज एवं गुणवत्ता उप-योजना

(i) 01/04/2015 की स्थिति के अनुसार अथशेष पर सम्मिलित किए गए आयोजित **आबंटन के 67% तक के लिए कवरेज एवं गुणवत्ता उप योजना तैयार की जानी है।**

(ii) **मंत्रालय के दिनांक 17/07/2012 के पत्र सं. डब्ल्यू-11011/07/2012-डब्ल्यूक्यू के अनुसार रासायनिक रूप से संदूषित बसावटों और जेई/एईएस प्रभावित जिलों के लिए पृथक 5% जल गुणवत्ता योजना तैयार करनी होगी।**

(iii) **12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दृष्टिकोण के भाग के रूप में, जबकि अंतिम लक्ष्य सुरक्षित पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति के साथ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर पर उपलब्ध कराया जाना है, इस बात पर विचार करते हुए पिछले 40 वर्षों से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानदण्ड रहा है और इस स्तर के साथ एक बड़ी आबादी अभी कवर की जानी बाकी है, अत: एक अंतरिम उपाय के रूप में लक्ष्य को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखा गया है।** यह लक्षित है कि देश की कम से कम 50 प्रतिशत आबादी (आज 35 प्रतिशत की तुलना में) को अपने पारिवारिक परिसरों के अंदर अथवा 100 मीटर की परिधि के भीतर (तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 10 मीटर की ऊँचाई के भीतर) सामाजिक अथवा वित्तीय भेदभाव के बिना 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सुविधा होगी। अलग-अलग राज्य और

अधिक मात्रा के मानदण्ड अपना सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के भाग के रूप में, राज्यों को वैयक्तिक पारिवारिक पाईप द्वारा जल कनैक्शन उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। वर्ष 2017 तक, यह लक्षित है कि कम से कम 35% ग्रामीण आबादी के पास वैयक्तिक पारिवारिक जल आपूर्ति कनैक्शन होंगे। **अत: राज्य 100% पारिवारिक कनैक्शनों के साथ पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं की डिजाईनिंग के लिए अधिकतम सीमा तक एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का उपयोग करें।**

(iv) भूजल स्तरों में गिरावट को देखते हुए, राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि वे सेवा डिलीवरी के स्थायित्व के हित में और भूजल आधारित योजनाओं के अधिमान में अधिक सतही जल आधारित योजनाएं प्रारंभ करें।

(v) **साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण और उपयोग के बीच तालमेल किया जाए ताकि ग्राम पंचायतों को संतृप्तिबोध किया जा सके और 2 अक्टूबर, 2019 तक उन्हें खुले में शौच मुक्त किया जा सके। बेहतर तालमेल के प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वैबसाईट में सूचित किए गए अनुसार आपके राज्य में शत-प्रतिशत परिवारों के साथ शौचालय कवरेज वाली पंचायतों की पहचान की जाए और इन बसावटों में पीडब्ल्यूएस उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जाए। (सूची मेल की गई है और वैबसाईट पर रखी गई है), (ख) इन ग्राम पंचायतों में जल गुणवत्ता प्रभावित और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को पाईप द्वारा जल आपूर्ति अथवा अन्य जल आपूर्ति योजनाओं के प्रावधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। (ग) पहचान की गई ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की बसावटों को लक्षित किए जाने की सूचना फार्मेट 18 में उपलब्ध कराई जाए।**

(vi) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत **प्राथमिकता प्राप्त बसावटों** में गुणवत्ता प्रभावित बसावटें और एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के पैरा 9.1 में उल्लेख किए गए अनुसार 0% से 25% तथा 25% से 50% आबादी के कवरेज वाली बसावटें सम्मिलित हैं।

(vii) प्रचलित योजनाएं जो **प्राथमिकता प्राप्त बसावटों** को कवर करती हैं अर्थात् गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करती हैं तथा एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पहली ही बार में पूरा करने के लिए <50% आबादी को कवर करने वाली बसावटों का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। प्रचलित योजनाओं जो गैर-प्राथमिकता प्राप्त बसावटों को कवर करती हैं, को राज्य योजना वित्तपोषण के साथ शुरू करना होगा यदि राज्य में कवर किए जाने के लिए प्राथमिकता वाली बसावटें बाकी हों।

(viii) **प्रचलित** और **नई योजनाओं** के बीच

क) 0% आबादी वाली कवर की गई बसावटों के कवरेज के लिए **प्रथम प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। इनमें से 100% पारिवारिक शौचालय कवरेज वाली ग्राम पंचायतों के कवरेज के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ख) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों अर्थात् स्रोत के अधिक रसायनिक संदूषण के साथ आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाईट्रेट, लवणता और लौह से प्रभावित बसावटों को **द्वितीय प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। इनमें से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों और 100% परिवारिक शौचालय के कवरेज वाली ग्राम पंचायतों की बसावटों के कवरेज के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग) 0-25% और 25-50% आबादी वाली कवर की गई बसावटों के कवरेज के लिए **तृतीय प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। इनमें से 100% पारिवारिक शौचालय के कवरेज वाली ग्राम पंचायत की बसावटों के कवरेज के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

50%-75%, 75%-100% आबादी वाली कवर की गई बसावटों के कवरेज के लिए कार्य किया जाना चाहिए यदि अन्य श्रेणी की बसावटें पहले ही कवर कर ली गई हैं। इनमें से 100% शौचालय कवरेज वाली ग्राम पंचायतों की बसावटों के कवरेज के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

घ) उन योजनाओं के पुनर्नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) को, जो अंतिम मॉडल कनैक्टिविटी के लिए अपनी डिजाइन अवधि के समीप हैं, अगली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ङ) अंतिम परन्तु न्यूनतम नहीं, **सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)** के अंतर्गत अपनाई गई ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए।

घ. माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए, यदि अभी तक अमल नहीं किया गया है, पेयजल आपूर्ति और शौचालयों में जलापूर्ति की सुविधा विहीन सभी शेष सरकारी ग्रामीण विद्यालयों को एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) के अंतर्गत यथाशीघ्र कवर कर लिया जाना चाहिए।

ङ. पेयजल आपूर्ति की सुविधा विहीन ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी/सामुदायिक/स्थानीय निकाय भवनों में सभी शेष आंगनवाड़ियों को एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) के अंतर्गत जल आपूर्ति सुविधाएं 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध करायी जानी हैं।

च. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) बहुल बसावटों में सतत आधार पर पेयजल की आश्वस्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्र से यह अपेक्षित है कि वे अनुसूचित जाति बहुल बसावटों को पेयजल आपूर्ति के लिए, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का कम से कम 22% और अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों के लिए अन्य कम से कम 10% राशि निर्धारित करें। उन मामलों में जहां राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों का पूर्ण कवरेज प्राप्त कर लिया है, वहां सेवा स्तरों में वृद्धि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों में विकास योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। जहां किसी एक राज्य विशेष में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों के मौजूदा कवरेज के लिए निर्धारित प्रावधानों से अधिक निधियों के निर्धारण/उपयोग की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त निधियों को भी उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों की सूची का उल्लेख पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वैबसाईट पर किया गया है।

छ. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वैबसाइट पर सूचित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की अल्पसंख्यक बहुल बसावटों को कवर करने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ज. समेकित कार्य योजना के अंतर्गत कवर की गई तथा भारत सरकार की सूची के अनुसार, (वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित) जनजातीय आबादी बहुल 88 जिलों में, जिसकी सूची पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है, में प्रति व्यक्ति अधिक आबंटन तथा निधियों की रिलीज की जानी चाहिए।

झ. स्थायित्व उप-योजना

अति-दोहित, महत्वपूर्ण तथा कम-महत्वपूर्ण ब्लॉकों और सतही जल स्तरों में गिरावट वाले ब्लॉकों के लिए योजनागत आबंटन की **10 प्रतिशत तक राशि की स्थायित्व उप-योजना** तैयार की जानी चाहिए। इन योजनाओं को जल भराव (वाटरशेड) के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए जिसमें भूजल संभावी (एचजीएम) नक्शों, जीआईएस का उपयोग करके तथा सीजीडब्ल्यूबी, एनआरएससी/राज्य सुदूर संवेदी केन्द्रों और राज्य भूजल बोर्डों/विभागों के तकनीकी मार्गदर्शन से उपयुक्त भूजल पुनर्भंडारण तथा जल संचयन ढांचों के स्थल की खोज की जाएगी। मनरेगा योजना के साथ कार्य के मजदूरी घटक का तालमेल किया जा सकता है।

ञ. संचालन एवं रख-रखाव उप योजना

आबंटन के **15 प्रतिशत के लिए संचालन एवं रख-रखाव उप-योजना में** पंचायत को अंतरित करने हेतु राशि तथा पीएचईडी द्वारा विभिन्न शीर्षों पर किया गया व्यय का विवरण दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे प्रणाली को सतत रूप से जारी रखने के लिए टीएफसी/एसएफसी, बीआरजीएफ आदि के अंतर्गत निधियों का अंतरण करें।

ट. सहायक गतिविधियां उप-योजना

- आबंटन के **5 प्रतिशत में से 75 रूपए** प्रति पारिवारिक कनेक्शन के रूप में आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि, डब्ल्यूएसएसओ, डीडब्ल्यूएसएम, बीआरसी, एमआईएस, कंप्यूटरीकरण, निगरानी तथा मूल्यांकन, अनुसंधान एवं विकास सहित

एचआरडी, आईईसी, सामुदायिक भागीदारी को सम्बद्ध करते हुए **सहायक गतिविधियों हेतु उप-योजना** तैयार की जाए।

- वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति का निर्माण/क्रियाशीलन, जागरूकता सृजन तथा प्रशिक्षण गतिविधियों सहित योजनाओं की आयोजना, निगरानी तथा संचालन एवं रखरखाव में समुदाय को शामिल करने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए।
- आबंटन के 3 प्रतिशत में से जल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच योजना जिसमें जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं (जीएलडब्ल्यूएस) को प्रशिक्षण देने हेतु उनकी संख्या (अर्थात् 5 जीएलडब्ल्यूएस प्रति ग्राम पंचायत की दर से शेष (जीडब्ल्यूएस) तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण), प्रति ग्रामपंचायत 1 की दर से एफटीके का संवितरण (बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए अधिक), राज्य/जिला तथा उप-जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, नमूनों की जांच(जिला, उप जिला प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 3000) हो। सभी स्रोतों की रसायनिक संदूषण के लिए वर्ष में कम से कम एक बार तथा जैविक संदूषण के लिए दो बार जांच की जाए।

ठ. कवर किए जाने वाले शेष स्कूलों की संख्या बताती **जलमणी योजना**। जिन राज्यों के पास खर्च न की गई शेष राशि है उनसे अनुरोध है कि वे उस राशि को इस मंत्रालय को लौटा दें।

ड. प्रोत्साहन निधि

केन्द्रीय स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन की 10 प्रतिशत राशि राज्य आधारित ग्रामीण आबादी प्रबंधन पेयजल योजनाओं को आबंटित की जाती है। वर्ष 2011-12 से, प्रोत्साहन निधि के आबंटन के लिए ग्रामीण आबादी प्रबंधन पेयजल योजनाओं के साथ-साथ प्रबंधन अंतरण सूचकांक का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, एएपी के साथ प्रोफार्मा 7 में सूचीबद्ध सूचकांकों पर सहायक दस्तावेजों सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहन निधि का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि गुणवत्ता प्रभावित बसावटें उपलब्ध न हों तो घरेलू कनैक्शनों सहित पाइप द्वारा जलापूर्ति योजना (पीडब्ल्यूएसएस) के लिए 0-25 प्रतिशत तथा 25-50 प्रतिशत आबादी वाली बसावटों को कवर करने पर प्राथमिकता दी जाए।

ढ़. तालमेल

i. **जिन ग्राम पंचायतों की सभी बसावटों में शत-प्रतिशत शौचालय का कवरेज हो उनमें पाइप द्वारा पेय जल आपूर्ति योजनाओं अथवा अन्य जलापूर्ति योजनाओं से कवर करने पर प्राथमिकता दी जाए ताकि उनमें शत-प्रतिशत जलापूर्ति कवरेज की स्थिति प्राप्त हो जाए।**

ii. अपशिष्ट जल प्रबंधन योजना बनाई जाए जिससे कम लागत वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन ढांचों की संख्या तथा अनुमानित लागत का पता चल सके जिसे एनआरईजीएस/एसबीएम (जी) के साथ तालमेल करके पीडब्ल्यूएसएस द्वारा सेवित की जाने वाली बसावटों में पाइप द्वारा जलापूर्ति के लिए शुरू किया जाएगा।

iii. स्थायित्व योजना बनाई जाए जिसमें मनरेगा योजना, जल-भराव (वाटर शेड) कार्यक्रमों जैसी अन्य योजनाओं से निधियों के स्रोत दर्शाए जाएं।

iv. ग्रामीण पेयजलापूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव के लिए निधि का स्रोत दर्शाने वाली संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार की जाए।

4. **जिलों तथा राज्यों के लिए 7 प्रोफार्मा (फार्मेटों) सहित मंत्रालय की आईएमआईएस पर उपलब्ध एएपी प्रोफार्मा में कार्य योजना 2015-16 बनाई जाए। आईएमआईएस पर राज्य सारांश योजना सहित जिला योजना 15.01.2015 तक अथवा इससे पूर्व अपलोड कर दी जाए। आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए 12.01.2015 से प्रोफार्मा की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होगी।**

योजना पर चर्चा करने से पहले कवर की गई बसावटों के सभी लक्ष्य तथा स्थान सहित स्थायित्व ढांचों को आईएमआईएस पर अंकित कर दिया जाए। **कृपया यह नोट किया जाए कि योजना पर की गई चर्चा के अनुसार आईएमआईएस पर लक्ष्यों को अंकित करने के बाद ही एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की पहली किश्त रिलीज की जाएगी। उपर्युक्त को 5 जनवरी, 2015 को या उससे पहले हार्डकापी तथा सॉफ्ट कॉपी में जमा करा दें तथा मंत्रालय की वैबसाइट पर डलवा दें।**

5. **राज्य एएपी प्रस्तुतीकरण**

प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

- एएपी चर्चा 2014-15 में निर्धारित किए गए कार्य बिंदुओं पर राज्य द्वारा दिया गया उत्तर/की गई कार्रवाई।
- 2014-15 में मुद्दों पर की गई कार्रवाई।
- उपयोग प्रमाणपत्र तथा एएसए से संबंधित मुद्दे।
- वर्ष 2014-15 के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम की तुलना में वास्तविक कार्यनिष्पादन।
- समग्र रूप से और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों में तथा अल्पसंख्यक बहुल और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में वित्तीय कार्यनिष्पादन।
- टैम्पलेट में दिए गए आरएफडी लक्ष्यों की तुलना में कार्यनिष्पादन।
- आईएमआईएस पर वार्षिक तथा मासिक रूप से आंकड़ों को अद्यतन करना।
- वर्ष 2014-15 तथा उससे पहले मंजूर किए गए अधूरे कार्यों का विवरण।
- अपनाए गई बेहतर तथा अभिनव प्रथाएं।
- उप-योजनाओं सहित एएपी 2015-16 का विवरण।

6. राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम संलग्न है तथा राज्यों को सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस कार्यक्रम का अनुपालन करना अपेक्षित है।

सादर,

आपका,

सत्यव्रत साहु.

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण पेयजलापूर्ति का प्रबंधन करने वाले राज्यों के सचिव।

Schedule for AAP Discussions (2015-16) with States				
National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)				
Sl. No	*State*	*Date*	*Day*	*Session*
1.	*MAHARASHTRA*	*29/01/2015*	*Thursday*	*11.30 AM*
2.	*MANIPUR*	*30/01/2015*	*Friday*	*10.30 AM*
3.	*ARUNACHAL PRADESH*	*30/01/2015*	*Friday*	*11.30 AM*
4.	*MEGHALAYA*	*30/01/2015*	*Friday*	*03.30 PM*
5.	*KARNATAKA*	*02/02/2015*	*Monday*	*11.30 AM*
6.	*MADHYA PRADESH*	*03/02/2015*	*Tuesday*	*11.30 AM*
7.	*KERALA*	*04/02/2015*	*Wednesday*	*10.30 AM*
8.	*UTTARAKHAND*	*04/02/2015*	*Wednesday*	*03.30 PM*
9.	*ODISHA*	*05/02/2015*	*Thursday*	*11.30 AM*
10.	*WEST BENGAL*	*05/02/2015*	*Thursday*	*03.30 PM*
11.	*MIZORAM*	*10/02/2015*	*Tuesday*	*10.30 AM*
12.	*NAGALAND*	*10/02/2015*	*Tuesday*	*11.30 AM*
13.	*SIKKIM*	*10/02/2015*	*Tuesday*	*03.30 PM*
14.	*TAMILNADU*	*11/02/2015*	*Wednesday*	*11.30 AM*
15.	*GUJARAT*	*12/02/2015*	*Thursday*	*10.30 AM*
16.	*ANDHRA PRADESH*	*13/02/2015*	*Friday*	*10.30 AM*
17.	*TELANGANA*	*13/02/2015*	*Friday*	*03.30 PM*
18.	*GOA*	*16/02/2015*	*Monday*	*10.30 AM*
19.	*PUDUCHERRY*	*16/02/2015*	*Monday*	*11.30 AM*
20.	*TRIPURA*	*16/02/2015*	*Monday*	*03.30 PM*
21.	*ANDAMAN & NICOBAR*	*18/02/2015*	*Wednesday*	*10.30 AM*
22.	*JAMMU & KASHMIR*	*18/02/2015*	*Wednesday*	*11.30 AM*
23.	*HIMACHAL PRADESH*	*18/02/2015*	*Wednesday*	*03.30 PM*
24.	*ASSAM*	*20/02/2015*	*Friday*	*11.30 AM*
25.	*UTTAR PRADESH*	*23/02/2015*	*Monday*	*11.30 AM*
26.	*PUNJAB*	*24/02/2015*	*Tuesday*	*10.30 AM*
27.	*HARYANA*	*24/02/2015*	*Tuesday*	*03.30 PM*
28.	*RAJASTHAN*	*25/02/2015*	*Wednesday*	*11.30 AM*
29.	*BIHAR*	*26/02/2015*	*Thursday*	*11.30 AM*
30.	*CHHATTISGARH*	*27/02/2015*	*Friday*	*11.30 AM*
31.	*JHARKHAND*	*27/02/2015*	*Friday*	*03.30 PM*

TEMPLATE FOR FURNISHING NRDWP ANNUAL ACTION PLAN

AAP – 2015-16

MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA

National Rural Drinking Water Programme

FORMAT 1

(in Rs Lakhs)

Annual Action Plan 2015-16

	NRDWP- PHYSICAL Targeted Habitations- 20 Point Programme Target	Quality affected (QA)/ Not Quality affected (NQA)	Status as on 1/4/2014 as per IMIS	Physical Target 2014-15	Physical achievement 2014-15 (upto Dec end, 2014)	Total Anticipated Achievement from 1/4/2014 to 31/3/2015	Physical Target 2015-16	Estimated Cost of Schemes/Activities	e: du
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. Targeted habitations with								
	1.1 0% population coverage/0 lpcd availability	QA							
		NQA							
Augmentation	1.2 0-25% population coverage/0< lpcd availability <10	QA							
		NQA							
	1.3 25-50% population coverage/10<= lpcd availability<20	QA							
		NQA							
	1.4 50-75% population coverage/20<= lpcd availability<30	QA							
		NQA							
	1.5 75-100 % population coverage/30<= lpcd availability<40	QA							
		NQA							
	1.6 100 % population coverage/lpcd availability>=40	QA							
		NQA							
	Total Target under 20 Point Programme	QA							
		NQA							

FORMAT 2

NRDWP - Financial Progress (in Rs Lakhs)

Central and State funds	Coverage 47%	Quality 20%	Sustainability 10%	Operation & Maintenance 15%	Support 5%	Water Quality Monitoring & Surveillance 3%	I C R
1	2	3	4	5	6	7	
1. Opening Balance on 1/4/2014							
2. Funds received in 2014-15							
2.1 Central Share							
2.2 State Share							
3. Total Funds available in 2014-15							
4. Total Expenditure							
4.1. Total Expenditure – Central Share							
4.2. Total Expenditure - State Share							
5. Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015							
5.1. Anticipated Expnditure – Central							
5.2. Anticipated Expenditure - State							
6.Percentage age of Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015 out of available funds							
6.1. Central							
6.2. State							
7. O.B. of Central funds as on 1/4/2015(anticipated)							

8. Allocation in 2015-16 (Assuming 10% increase over 2014-15 allocation)							
8.1Central Share							
8.2. State Share							
9. Total Available funds for 2015-16							

FORMAT 3

NRDWP - Financial Progress - II

Component	Expenditure (Rs Lakhs)			
	Total Expenditure (Central and State) in 2014-15	**Expenditure on SCSP/TSP/Min as % of Total Exp.**	**Planned Expenditure in 2015-16**	**Expend SCSP/TSP of Pl Allo**
1	2	3	4	
Total				
SC Sub Plan Expendn. (as per State allocation)				
ST Sub Plan Expdn.(as per State allocation)				
Minorities (Total Expenditure in Minority concentrated districts)				

FORMAT 4

NRDWP (Coverage) Details of provision of Water supply to Schools and Anganwadis (in Rs L

	Physical Target 2014-15	Physical achievement 2014-15 (upto dec end, 2014)	Total Anticipated Achievement from 1/4/2014 to 31/3/2015	Actual Expenditure during 2014-15 so far	Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/ 2015	Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015 as %age of available funds	Physical Target 2015-16	Estimated Cost of Schemes	Expected expen during 2015-1 Schemes
1	2	3	4	5*	6*	7	8	9*	10*
1. Schools and Anganwadis Plan									
2 No. of Govt. rural schools to be provided with water supply									
3. No. of Govt. rural school toilets to be provided with running water supply									
4. Jalmani **									
5 No. of Anganwadis to be provided with water supply									
Total Outlay on Schemes for Schools and Anganwadis									
Total Outlay on Schemes for Coverage including on Schools and Anganwadis									

*: For Columns 5,6,9,10 please enter only for schemes covering schools/Anganwadis only. Schemes covering both habitations and schools/anganwadis in the habitation should be entered in Format 6 only, and should not be entered in Format 7.

**No new releases are expected under Jalmani

FORMAT 5

NRDWP (Coverage+quality+ Sustainability+O&M + Support) Details of schemes covering SC and ST concentr
habitations and minority concentrated and IAP Districts **(in Rs La**

	Physical Target 2014-15	Physical achievement 2014-15 (upto Dec end, 2014)	Total Anticipated Achievement from 1/4/2014 to 31/3/2015	Habitations targeted for coverage 2013-14	Achievement of Habitations covered 2014-15	Actual Expenditure during 2014-15 so far	Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015	Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015 as %age of available funds	Physical Target 2015-16	Habitations targeted for coverage 2015-16	Estimated Cost of Schemes/Activities	e 2 Sc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Schemes covering SC, ST and Minority concentrated habitations(Coverage & Quality)												
2 SC concentrated habitations												
2.1 Spillover schemes												
2.2 New Schemes												
2.3(A) Total Outlay on Schemes for SC concentrated habitations												
3 (B) ST concentrated habitations												
3.1 Spillover schemes												
3.2 New Schemes												
3.3 Total Outlay on Schemes for ST												

concentrated habitations												
4 Minority concentrated districts(from 121 districts)												
4.1 Spillover schemes												
4.2 New Schemes												
4.3 Total Outlay on Schemes for Minority concentrated districts (from 90 districts) *												
5 IAP districts(from 82 districts)												
5.1 Spillover schemes												
5.2 New Schemes												
Total Outlay on IAP districts (from 88 districts)*												

FORMAT 6

NRDWP (Support) Community Involvement and Training in NRDWP Action Plan 2015-16 (in Rs Lal

	Physical Target 2014-15	Physical achievement 2014-15 (upto Dec end, 2014)	Total Anticipated Achievement from 1/4/2014 to 31/3/2015	Actual Expenditure during 2014-15 so far	Anticipated Expenditure from 1/4/2014 to 31/3/2015	Physical Target 2015-16	Estimated Cost of Activities	Expected expe during 2015-16 on A
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Community Involvement in NRDWP Action Plan 2015-16								
1.1 No. of Gram Sabhas proposed to be held in targeted habitations								
1.2 No. of VWSC members to be trained in planning, monitoring & managing PWSS								
1.3 No. of PRI members to be trained in planning, monitoring & managing PWSS								
1.4. Number of piped water supply schemes handed over to Panchayats								
2 Other Training programmes								
2.1 No. of Engineers to be trained in the year								
2.2 No. of grassroot workers like masons, pump mechanics to be trained in the year								
2.4Others (Specify)								
Total								

Format -7

Key Performance Indicators - Strategic Plan

Please provide available information on the following Key Performance Indicators. If information is not readily available , the time by which it would be furnished may please be indicated.

Key Performance Indicators

Level	Description	Key Indicators	Means of Verification	Achievement by the
Impact	Household health and livelihoods improved	- % Reduction in prevalence of diarrhea in children under 5 from base year - % Reduction in IMR from base year	Data from MoHFW	
Outcomes (Results)	Every rural person has enough safe water for drinking, cooking and other domestic needs as well as livestock at all times in all situations.	-% of households accessing drinking water through piped water supply with household connections (i)metered and (ii) unmetered. -% of households accessing drinking water through public taps -% of households access drinking water supply through handpumps throughout the year. -% of households accessing drinking water through other means throughout the year -% of habitations with service level of 70 lpcd or more -% drinking water sources with safe drinking water as per IS 10500 norms throughout the year. -% age of public drinking water sources with chemical contamination -%age of private drinking water sources with chemical contamination -%age of public drinking water sources with bacteriological contamination -% households accessing safe drinking water as per IS 10500 norms throughout the year.	IMIS – Monthly report IMIS-Annual Report -do- -do- -do- Based on sources tested in	

		-% of villages with 24x7 safe water supply throughout the year -% of village schools with water supply -% of anganwadis with water supply	IMIS -do- IMIS-Annual Report -do- -do-	
Outputs	Physical infrastructure created to support drinking water security for rural households.	-No of habitations covered by single village piped RWS schemes -No of habitations covered by multi-village piped RWS schemes -No of rainwater harvesting structures created -No of groundwater recharge measures implemented - No. of quality affected habitations covered % of districts with district level labs -% of sub-districts with sub-district level labs -% of all drinking water sources tested during the year	All through IMIS- Annual and Monthly reports	
Strategic objectives				
1	Drinking water security plans developed and implemented	-% age of GPs/VWSCs managing in-village water supply -% age of single-village/in-village water supply schemes implemented by GPs/VWSCs -No. of village drinking water security plans developed -No of village drinking water security plans implemented -No. of district drinking water security plans developed -No of district drinking water security plans implemented	All through IMIS – Annual Report	

2	Conjunctive use of water sources adopted	-% of villages served only from groundwater sources -% of villages served only from surface water sources -% of villages served only from rooftop water harvesting -% of villages using recycled water -% of villages served from surface and ground water sources, -% of villages served from surface, ground water and rooftop water.	All through IMIS - Reports	
3	Convergence of various programmes	- Number of drinking water supply schemes using funds from programs other than NRDWP -No. of districts reporting on funds used through convergence	Through IMIS Reports	
4	Institutional arrangements strengthened	-No of states that have carried out an activity mapping exercise for PRIs -No. of states transferring capital and O&M finances to PRIs. - Management Devolution Index of States to measure nature and extent of management of RWSS by PRIs.	Through reports from State Governments	
5	Financing of plans adopted	- % of GPs with a corpus fund for replacement and expansion. - % of GPs with more than 75% of demand of user charges collected	IMIS - Reports	
6	Regulatory processes adopted	-No. of states adopting regulatory legislation to prioritise allocations for drinking water. -No of states institutionalizing regulatory bodies. -No. states with an O&M policy on service standards and cost recovery. -No. of states adopting Uniform Protocol for Water quality testing. -No. of DWSMs meeting twice in previous year -% of GPs reporting monitoring of drinking water quality -% of groundwater sources for which groundwater levels are reported.	As per State Govt. reports -IMIS Reports	

		-% of Unaccounted for Water in rural multi-village piped water supply schemes		
7	Training of all key stakeholders undertaken	-No. of training workshops completed at different levels -No. of trained people at different levels -No of exposure trips and no of participants		
8	Technical support strengthened	-% of BRCs set up % of BRC Coordinator positions filled -% of DWSM and SWSM support staff positions filled % of district, block and sub-block level engineer posts filled up -No. of State and district Key Resource Centres established -No. of activities undertaken by STA -No. of activities undertaken by State Referral Institute		
9	Outsourcing	-No. of PPP contracts in rural water supply		